न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी सी. आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 23/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

आवास फाईनेसियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में ए. यू. हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यावसायिक कार्यालय 201–202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर–302020।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. कैलाश चन्द सैनी पुत्र राम किशोर सैनी, निवासी 2020, मण्डोली पथ, वार्ड नम्बर 23, पुलिस का मौहल्ला, छावनी नीमकाथाना, जिला सीकर– 332713 राजस्थान।
2. सविता सैनी पत्नी कैलाश चन्द सैनी, निवासी 2020, मण्डोली पथ, वार्ड नम्बर 23, पुलिस का मौहल्ला, छावनी नीमकाथाना, जिला सीकर– 332713 राजस्थान।
3. गोविन्द राम सैनी पुत्र राम किशोर सैनी, निवासी पुलिस का मौहल्ला, छावनी नीमकाथाना, जिला सीकर– 332713 राजस्थान।
4. राम किशोर सैनी पुत्र नारायण लाल, निवासी 120, स्कुल नम्बर 2 के पास, वार्ड नम्बर 13, नीमकाथाना, जिला सीकर– 332713।
5. केदार पुत्र द्वारका प्रसाद, निवासी वार्ड नम्बर 5, मौहल्ला पंचायत भवन के पास, पुरनाबास, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर– 332713।
6. बोदुराम पुत्र प्रभाती लाल सैनी, निवासी 247, नवोडा की ढाणी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं, राजस्थान।

जमानती/अप्रार्थीगण

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

निर्णय

निर्णय दिनांकः 04-06-2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **विजय सिंह तंवर** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **कैलाश चन्द सैनी, सविता सैनी, गोविन्द राम सैनी, केदार, बोदुराम** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **रामकिशोर पुत्र नारायण लाल जाति माली की सम्पति जो कस्बा नीमकाथाना में छावनी मौहल्ला, जिला सीकर में है, जिसके पट्टा डीड दिनांक 25.05.1968 को जन आवासीय भू-खण्ड स्थित हैं जो रामकिशोर पुत्र नारायण लाल के नाम से जारी किया हुआ है तथा जिसका नाप 462 वर्गगज है तथा जिसके उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में राजकीय भूमि, पूर्व में आम चौक व रास्ता, पश्चिम में राजकीय भूमि व धर्मशाला स्थित हैं,** को बंधक रखकर दिनांक 24.06.2014 को **11,00,000/-रूपये** (अक्षरे रूपये **ग्यारह लाख**) व दिनांक 31.03.2016 को **11,00,000/-रूपये** (अक्षरे रूपये **ग्यारह लाख**) कुल **22,00,000/-** रूपये (अक्षरे रूपये **बाईस लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **02.02.2019** को तैयार कर **दिनांक 05.02.2019** को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से वकील श्री राधाकृष्ण स्वामी ने वकालतनामा पेश किया। ऋणी ने स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया है उपभोक्ता मंच सीकर में भी मेरा न्याय 9 माह से शरण ले रखा है कोई भी परिणाम नहीं आया है। सरकार से भी मुझे कोई सहायता आज तक नहीं मिली है। इन्शोरेन्स कम्पनी से भी कुछ नहीं मिला है। आगे मैं किश्तों का भुगतान चुकाने में असमर्थ हुँ। इन्शोरेन्स का रूपये आने तक बैंक को मेरा मकान को नीलाम होने से सुरक्षित हो।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **02.02.2019** को तैयार कर **दिनांक 05.02.2019** को रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **कैलाश चन्द सैनी, सविता सैनी, गोविन्द राम सैनी, केदार, बोदुराम** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **रामकिशोर पुत्र नारायण लाल जाति माली की सम्पति जो कस्बा नीमकाथाना में छावनी मौहल्ला, जिला सीकर में है, जिसके पट्टा डीड दिनांक 25.05.1968 को जन आवासीय भू–खण्ड स्थित हैं जो रामकिशोर पुत्र नारायण लाल के नाम से जारी किया हुआ है तथा जिसका नाप 462 वर्गगज है तथा जिसके उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में राजकीय भूमि, पूर्व में आम चौक व रास्ता, पश्चिम में राजकीय भूमि व धर्मशाला स्थित हैं**, का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर, प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः 04-06-**2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/6/19

(सी. आर. मीना)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner